

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA INDIA NON JUDICIAL



17 MAR 2014
Time: 11:50 A.M.
Date: 5
बिहार BIHAR
15/3/14
15/3/14

महोदय श्री राजेश कुमार शर्मा निवासी प्रखरपुरी बाबाई का (बिहार)
जयपुर अमरावती
15/3/14
15/3/14
M 732173
इयाग कान्त शर्मा
मुद्रांक विज्ञान
का. नं. 490/1/ता. 28



"प्रारूप-26"
(नियम 4 क देखिए)

38, जहानाबाद..... निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) लोक सभा
..... (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष
अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र।

भाग-क

मैं चन्द्र शूक्ला शर्मा पुत्र/पुत्री/पत्नी स्कं कुंज बिहारी शर्मा
आयु 64 वर्ष, जो शाहीनगर, मखदुमाबाद, पौष-जहानाबाद
ग्राम - जहानाबाद जिला-जहानाबाद

..... (डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ -

क्रमशः



- (1) मैं आम आदमी पार्टी (राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा है। (जो लागू न हो उसे काट दें)
- (2) मेरा नाम 216, जहाजाबाद, बिहार (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं०- 210 के क्रम सं० 332 पर प्रविष्ट है।
- (3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं० 094310 84 84 7 है। मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) akasharma@gmail.com है। एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंटस (यदि कोई हो) www.facebook.com/Dr.C.B.Sharma 48 है।
- (4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति -

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपय में)
1.	स्वयं	AJLPS 8520 P	2012-13	13554521 -
2.	श्रीमती सुनेहा शर्मा प्रति-मा पत्नी	DKDPS 5704 K	2012-13	शुद्ध
3.	आश्रित - 1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	आश्रित - 2	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	आश्रित - 3	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



(5). मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारित वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए है। यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी-

(i) निम्नलिखित मामला(मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए है।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	लागू नहीं
(ख)	संबंधित अधिनियम(अधिनियमों) की धारा(धाराए) और अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके(जिनके) लिए आरोपित किया गया है	लागू नहीं
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं
(घ)	न्यायालय, जिसके(जिनके) द्वारा आरोप(आरोपों) की विरचना की गई	लागू नहीं
(ङ)	तारीख(तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	लागू नहीं
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/है	लागू नहीं

(ii) निम्नलिखित मामला(मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/है जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है {पूर्वोक्त मदद(i) में वर्णित मामलों से भिन्न}-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं
(ख)	इन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराए) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके(जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	लागू नहीं
(ग)	पूर्वोक्त आदेश(आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील(अपीलो)/आवेदन(आवेदनो)(यदि कोई हो) के ब्यौरे	लागू नहीं



मुझे किसी अपराध(अपराधों)(लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951(1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा(1) या उपधारा(2) में निर्दिष्ट या उपधारा(3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध(अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है-

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा-

निम्नलिखित मामलो में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है-

(क)	उन मामलों के ब्योरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा(धाराएं) और अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके(जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	लागु नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	लागु नहीं
(ग)	अधिशोषित दंड	लागु नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्योरे और वर्तमान प्रास्थिति	लागु नहीं

(7). मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आश्रितियों(जंगम और स्थावर आदि) के ब्योरे नीचे देता हूँ

अ. जंगम आश्रितियों के ब्योरे:-

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम मे आश्रितियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख स्कीम बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्योरे दिए जाने है।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 75क के अधीन

स्पष्टीकरण(5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्योरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिये जाने है।



क्रम सं	विवरण	स्वंय	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	1000000/-	500000/-	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं) वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	कुल जमा 7,65,000/- 2513114/- P.N.B. J/S B.O.B. J/S B.O.I. J/S Cann Bank	कुल जमा 4120000/- 2513114/- P.N.B. J/S B.O.B. J/S B.O.I. J/S Cann Bank	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनितों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	250000/- शेयर Power Grid RIL	शून्य	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम।	S.B.I. Ube 2000000/- Bajaj Allianz 559800/-	रिलायंस 6000000/-	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम।	शून्य	शून्य	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत(मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	माफ़ी जलवे 2007 3050000/- BRIAH 6080	शून्य	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु(वस्तुएं)(भार और मूल्य के ब्यौरे)	शून्य	50 ग्राम हीरे 1500000/-	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
(ix)	समग्र कुल मूल्य	15409800/- 14509800/-	62700000/- 60	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं



	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	15000000=00	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हा या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		आवासीय भवन(अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति(अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक(संख्याएँ)	शून्य	मंदारपुर शाहीनगर का 1003/3 जहांगवाड़	लागु नहीं	लागु नहीं
(iv)	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	2043 वर्ग फुट	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	950 वर्ग फुट	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हा या नहीं)	शून्य	शून्य नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	इसमें 2001	शून्य	शून्य	शून्य



	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	शून्य	उपहार	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	3000000000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	15000000000 शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	अन्य(जैसे कि संपत्ति में हित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	पूर्वोत्तर (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	28000000000	17000000000 30000000000	शून्य	शून्य	शून्य

- (8). मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ-
(टिप्पण - कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरे का पृथक विवरण दें)

क्रम सं	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था(संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	सरकारी शोध्य - सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सरकारी परिवहन(वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आय-कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	धनकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सेवाकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विक्रयकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लॉबित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(9). वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे:-

(क) स्वयं पुस्तक लेखन कार्य प्रमाणिका
सामाजिक कार्य

(ख) पति या पत्नी शुद्धी

(10). मेरी शैक्षिक अहर्ता नीचे दिये अनुसार है-

मैट्रिक - उच्च विद्यालय, विद्यापीठ समिति, 1962, बीएससी (आवृत्ति) कायेंस कॉलेज पटना,

पटना विद्यापीठ, एम.एससी, पटना विद्यापीठ, पीएचडी पटना विद्यापीठ

पीएचडी इकाय पटना उच्च विद्यालय

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौर दें)



भाग-ख

(11). भाग-क के (1) से (10) तक दिये गये ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कुल - चन्द्रभूषणशर्मा		
2	डाक का पता	शाहीनगर, जहानाबाद जि०-जहानाबाद 804408 (बिहार)		
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	36, जहानाबाद (बिहार) 216, जहानाबाद (बिहार)		
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	आज आदमी पार्टी		
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	शून्य		
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (1) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	शून्य		
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष उठराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा(1), उपधारा(2) या उपधारा(3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	शून्य		
7का स्थायी लेखा संख्या	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय	
	(क) अभ्यर्थी	AJLPS 8570P	2012-13	1355452/-
	(ख) पति या पत्नी	DKDPS 5704K	2012-13	शून्य
	(ग) आश्रित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



8 आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)							
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3	
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	1540980 = 00 रु	627000 = 0670	शून्य	शून्य	शून्य	
	स्थावर आस्तियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
ख	I स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत		237000 = 00	शून्य	शून्य	शून्य	
	II क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)		300000 = 00	शून्य	शून्य	शून्य	
	III निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	(क) स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य)		3000000 = 00 रु	शून्य	शून्य	शून्य
		(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)		2500000 = 00 रु	शून्य	शून्य	शून्य
		दायित्व		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9	(i) सरकारी शोध्य (कुल)		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है						
10	(i) सरकारी शोध्य (कुल)		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
11	उच्चतम शैक्षिक अर्हता - एन एचसी, पीएचडी, पीएचडी शिक्षा						
(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/ विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)							



सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हू कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि -

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामलों से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है।

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख... 26/3/14 को सत्यापित किया गया।

[Handwritten Signature]

फूलशर्मा
अभिसाक्षी

- टिप्पण - 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन की 3.00 बजे अपराहन तक फाइल किया जाना चाहिए।
- टिप्पण - 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
- टिप्पण - 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो यथास्थित शून्य या लागू नहीं होता उल्लिखित किया जाना चाहिए।
- टिप्पण - 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठयरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।
- टिप्पण - 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो शून्य या लागू नहीं या ज्ञात नहीं जो उपयुक्त हो ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण - 6. शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

मेरा दूरभाष संपर्क संख्या/संख्यायें है/हैं... 09431084847

मेरा ई-मेल आईडी (अगर कोई हो) है... Chsharma49@gmail.com

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंटस (अगर कोई हो) है... www.facebook.com/Dr.C.B.Sharma48



Authorised JIS 2(d) of
the Notar... 53 of 1952

